न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 197 / 2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1958

उनवान

[illegible] पुत्र कल्याण मीणा निवासी टोंपा तहसील शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

1–2 रमेश, बाला पिता रंगलाल मीणा निवासी टोपां तहसील शाहपुरा
3–6 बजरंगलाल, हेमराज, शिवराज, भंवरलाल पिता रामचन्द्र मीणा निवासी टोपा तहसील शाहपुरा
7– बबलू पिता रामलाल मीणा निवासी टोपां तहसील शाहपुरा
8–10 गोपाल, किशन, गणराज पिता बालू मीणा निवासी टोपां तहसील शाहपुरा
11– रामप्रसाद पिता रामदेव मीणा निवासी टोपां तहसील शाहपुरा
12– उदयलाल पिता लादू मीणा निवासी टोपां तहसील शाहपुरा

विपक्षीगण

उपस्थिति – **श्री विनोद सनाढ्य**
अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 05 / 01 / 2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी के ग्राम संतोषपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 336 रकबा 2.44 है0** कुल **किता** 1 रकबा 2.44 है0 हैक्टेयर का प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। तथा पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम संतोषपुरा संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् का प्रार्थी **खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **संतोषपुरा** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् **किता 1 रकबा 2.44 है0 हैक्टेयर** की [illegible] पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी **ऑफ सीजन** मे करवाये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 500 / – रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05 / 01 / 2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि – तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.